न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेजरोली)

मु.न. 62/2016

उनवान

बृजबिहारी पुत्र झूंथालाल, उंम्र 70 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राजस्थान)।

प्रार्थी

बनाम

1. मुरलीधर पुत्र ओघड़नाथ
2. नानग पुत्र ओघड़नाथ
3. रामेश्वरनाथ पुत्र रूडानाथ
4. पूरणमल पुत्र स्व0 प्रभूनाथ
5. गजानन्द पुत्र स्व0 प्रभूनाथ
6. बोदूराम पुत्र स्व0 प्रभूनाथ
7. पवन पुत्र स्व0 प्रभूनाथ
8. पप्पू पुत्र स्व0 दुलानाथ
9. बाबूलाल पुत्र स्व0 दुलानाथ
10. बजरंग पुत्र स्व0 दुलानाथ

   समस्त जाति जोगी, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज0)।
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956</u>

निर्णय दिनांक 28.05.2018

पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेजरोली में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली ए, भू0अभि0नि. क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 345 में वर्णित खसरा नम्बर 4326 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो कि सम्पूर्ण ही प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली ए, भू0अभि0नि. क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि नया खाता संख्या 501 में वर्णित खसरा नम्बर 4318 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 4320 रकबा 0.02 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.06 है0 भूमि स्थित है जो कि अप्रार्थी 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा ग्राम खेजरोली में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 596 में वर्णित खसरा नम्बर 4325 रकबा 0.12 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.12 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 3 ता 10 की है तथा खसरा नम्बर 4317 की भूमि अप्रार्थी संख्या 11 की है तथा मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि के लगवा मद संख्या 2 में वर्णित अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान् तहसीलदार महोदय, चौमूं के आदेश क्रमांक / भू0अ0 / 16 / सीमा / 2227 दिनांक 08.06.2016 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.06.2016 को ग्राम खेजरोली ए के आराजी खसरा नम्बर 4326 के मौके बहमराह ग्राम प्रतिहारी रमेश चन्द जाट व प्रार्थी श्री सांवरमल सैनी व पडौसी काश्तकारों के साथ सीमाज्ञान की कार्यवाही करने पहुंचा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा शीट भू-प्रबन्धक आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 29.02.2016 के अनुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ग्राम खेजरोली-ए के आराजी खसरा नम्बर 4300 व 4328 गै.मु. चाह की दूरी नक्शा शीट के अनुसार 64 मीटर है जो मौके पर नाप करने पर सही पायी गई। सर्वप्रथम आराजी खसरा नम्बर 4328 गै.मु. चाह से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 4335 का उत्तरी पूर्वी कोणा व खसरा नम्बर 4325 का दक्षिण पूर्वी कोणा कायम किया गया। आराजी खसरा नम्बर 4300 गै.मु. चाह से पश्चिम दिशा में जरीब चलाकर आराजी खसरा नम्बर 4320 का दक्षिण-पूर्वी व आराजी खसरा नम्बर 4325 का उत्तरी पूर्वी कोणा कायम किया गया। बाद में खसरा नम्बर 4300 गै.मु. चाह से जरीब चलाकर आराजी खसरा नम्बर 4317 का दक्षिणी पूर्वी व आराजी खसरा नम्बर 4318 का उत्तरी पूर्वी कोणा कायम किया गया। फर्द मौका तैया किया जाकर उपस्थित मौतबिरान व प्रार्थी को पढकर सुनाया गया व उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है जिस हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात् की पत्थरगढी के आदेश फरमानें की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। उभयपक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 4, 6 ता 11 बावजूद तामिल अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 16.06.2016 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2016 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खेजरोली में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner